11.06.25 पत्रावली वास्ते आर्डर आज पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। दौराने बहस वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 6 की ओर से निवेदन किया कि प्रतिवादी सं. 4 को अपने रिश्तेदारों से जानकारी हुई कि वादीया ऊषा की मृत्यु दिनांक 01.11.2017 को हो चुकी है। जिसकी जानकारी वकील वादीया को

को भी मानी जाती है। विधि के आज्ञापक प्रावधानो के अनुसार वादपत्र के पक्षकारो की मृत्यु होने की दशा मे 90 दिन के अन्दर मृतक पक्षकार की विधिक वारिसान को पत्रावली मे रिकार्ड पर बतौर कायम मुकाम लिया जाना आवश्यक होता है, परन्तु हस्तगत वादपत्र में मृतक वादीया जगत की मृत्यु दिनांक 01.11.2017 से लेकर आज तक वादीया के विधिक वारीसान की तरफ से कोई आवेदन बाबत बनाये जाने कायम मुकाम वादीया न्यायालय हाजा मे पेश नहीं हुआ है तथा उनके वारिस निर्धारित समय सीमा के बाद भी वादपत्र की प्रक्रिया को आगे बढाने के लिये न्यायालय हाजा मे उपस्थित नहीं आये है तथा अधिवक्ता द्वारा मृतक पक्षकार की पैरवी करने का कोई प्रावधान नही है इसलिए वादीया का वाद विधि वर्जित होने से आगे चलने योग्य नही है अतः वादीया का वाद अबेट कर खारिज किया जावे।

वकील वादीया की ओर से जवाब बाबत अबेट आवेदन दिनांक 04/3/2024

को पेश किया जिसमे उल्लेख किया कि वाडीया के मुख्तयार उसके पुत्र मो० असलम की अनभिज्ञता की वजह से कायम मु. आवेदन दिनांक 20/8/2019 को पेश किया।

मैंने सुनी गयी बहस व विधिक प्रावधानो पर मंनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 1 ग 6 की ओर से मूल दावा का जवाब दावा जरिये अधिवक्ता दिनांक 20/10/2015 को पेश किया तब से वाडीया ने अपने जीवनकाल मे कोई कार्यवाही नही की। तत्पश्चात दिनांक 01.11.2017 को वाडीया फौत हो गई। लेकिन उसके वारिसान की ओर से निर्धारित समयसीमा मे कायम मु आवेदन पेश नहीं किया गया। प्रतिवादी की ओर से अबैर आवेदन पेश होने के पश्चात दिनांक 20/08/2019 को का मु आवेदन पेश किया गया जबकि कायम मु आवेदन विधि के प्रावधानो के अनुसार मृतक पक्षकार की मृत्यु के

दशा में 90 दिवस में पेश करना अनिवार्य होता है। अतः इससे स्पष्ट है कि वकील वाडीया द्वारा बिना किसी अधिकार के आदिनाथ तक प्रतिवादीगण जो कि रिकार्डेड खातेदार एवं काबिज काश्तकार है को स्थगन के चलते अनेक विधिक अधिकारों का भी हनन किया गया है। अतः इसी स्तर पर अबैद आवेदन स्वीकार किया जाकर वाडीया का वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली कैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ़ (सीकर)